90/1

संख्या–54 /उन्तीस(2)/12–2(67पे0)/2006

प्रेषक,

जी0बी0ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 13 जनवरी, 2012

विषयः **राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड हवालबाग के अन्तर्गत खूँट ग्राम समूह पम्पिंग योजना हेतु व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1982/उन्तीस(2)/06–2(67पे0)/06 दिनांक 06 अक्टूबर 2006, शासनादेश संख्या 1950/उन्तीस(2)/07–2(71पे0)/07 दिनांक 28 सितम्बर 2007, शासनादेश संख्या 313/उन्तीस(2)/10–2(111पे0)/09 दिनांक 15 मार्च 2010 एवं आपके पत्र संख्या 419/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/ दिनांक 03.01.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवलबाग के अन्तर्गत खूंट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु ₹ 49.66 लाख (₹ उनचास लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i)– उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii)– कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

(iv)– व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय।

(v)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– कार्य को गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(vii)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(viii)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ix)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदोपरांत ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(x)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

कमश...1

(xi)– कार्य करने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(xii)– आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(xiii)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में टैस्टिग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाय।

(xiv)– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV– 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त योजना की मूल स्वीकृति सहित धनावंटन सम्बन्धी आदेशों में उल्लिखित सभी शर्तें यथावत् रहेगी।

3– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखानुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति– आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति–03–ग्रामीण पेयजल सैक्टर–03–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 302/XXVII(2)/2011, दिनांक 09 जनवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0 54 (1)/उन्तीस(2)/12–2(67पे0)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव– प्रमुख सचिव पेयजल को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमायू, नैनीताल।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्तअनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, देहरादून।
10. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
12. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव